निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 584) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 अप्रील 2016

सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–22/2008/596—श्री रामायण सिंह, (आई0डी0–1879), तत्कालीन कार्यपाक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत) को दिनांक 12.11.08 को निगरानी विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्राचार लिपिक का गलत नियत से वेतन रोकने एवं उनसे दो हजार रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप श्री सिंह के विरूद्व निगरानी थाना कांड सं0–89/2008 दिनांक 12.11.08 दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0–965 दिनांक 28.11.08 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 71 दिनांक 18.02.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गईः–

1. श्री अरूण कुमार सुमन, पत्राचार लिपिक, सोन नहर प्रमण्डल, आरा जो दिनांक 31.12.2008 को सेवानिवृत होने वाले थे, का माह मई 2008 एवं जून 2008 का वेतन आपके द्वारा गलत नियत से रोका गया।

2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के आदेश सं0–528 दिनांक 02.02.07 द्वारा दी गई ए0 सी0 पी0 की स्वीकृति के बावजूद श्री अरूण कुमार सुमन का वेतन निर्धारण नहीं किया गया तथा निर्धारण के लिए पॉच हजार रूपए की मांग की गई। आपका यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) में निहित प्रावधान के विरूद्व है। इसी क्रम में आपको दो हजार रूपए धूस लेते हुए निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया है।

उक्त मामले में विभागीय जॅाच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिंह के दिनांक 30.11.09 को सेवानिवृत हो जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0 1479 दिनांक 10.12.09 द्वारा उनकी सेवानिवृति की तिथि 30.11.09 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1476 दिनांक 10.12.09 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही श्री सिंह द्वारा विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं करने के कारण उनके विरूद्व निम्न पूरक आरोप गठित किया गयाः–

श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपाक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में कई पत्र एवं स्मार के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव बयान उपलब्ध नहीं कराया गया। यहॉ तक कि समाचार पत्र के माध्यम से सूचना

प्रकाशित करने पर उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का गलत सहारा लेते हुए मामले को टालने का प्रयास किया गया जबकि आदर्श आचार संहिता की अवधि में चुनाव कार्य में संलग्न कर्मियों पर ही प्रशासनिक कार्रवाई के पूर्व चुनाव आयोग की अनुमति वांछित होती है और श्री सिंह 30.11.09 को ही सेवानिवृत हो चुके है।

अतः श्री रामायण सिंह के विरूद्ध लगभग पॅाच वर्षो से विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं करने एवं इससे बाधित रखने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अपर विभागीय जॅाच आयुक्त (संचालन पदाधिकारी) से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त इससे सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1863 दिनांक 15.12.14 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिंह द्वारा अपने प्रत्युतर में मुख्य रूप से निम्न तर्क दिया गयाः–

(i) विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन नहीं किया गया है।

(ii) न्यायालीय प्रक्रिया की तरह विभागीय कार्यवाही में उन्हें संबंधित प्रदर्श, एफ0 एस0 एल0 की रिपोर्ट एवं जब्त नोटों की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

(iii) मामले के गवाहों की सूची एवं उनका प्रति परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया।

(iv) परिवादी श्री अरूण कुमार सुमन पर कतिपय आरोप लगाते हुए साजिश के तहत फॅसाने की बात कही गई।

(v) श्री सिंह के मामले से संबंधित विभिन्न गजट की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर विभागीय कार्यवाही को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बताया गया।

(vi) श्री सिंह द्वारा बीमारी के चलते बाहर रहने के कारण विभाग द्वारा प्रेषित पत्रों को प्राप्त नहीं होने की बात कही गई।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युतर की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में अपने कार्यालय के कर्मी से धूस लेने संबंधी आरोप से कही भी इंकार नहीं किया गया है। इनके द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही एवं की गई द्वितीय कारण पृच्छा पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया जो मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई परन्तु इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा कई बार उपस्थित होने/बचाव बयान समर्पित करने हेतु निदेशित किए जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युतर में प्रमाणित आरोपों के संबंध में कोई ठोस एवं अकाट्य कारण अंकित नहीं किया गया है जिससे इसकी प्रमाणिकता पर संदेह किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अपने कार्यालय के पत्राचार लिपिक से गलत नियत से वेतन रोकने, उनसे दो हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने एवं इस मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए ''सौ प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक श्री रामायण सिंह सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध अधिरोपित किए जाने वाले ''सौ प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक'' के दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1009 दिनांक 06.05.15 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्रदान करने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1293 दिनांक 11.08.2015 के माध्यम से उक्त दण्ड प्रस्ताव पर परामर्श उपलब्ध कराया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से दण्ड अनुपातिक नहीं होने संबंधी अस्हमति के रूप में प्राप्त परामर्श के आलोक में मामले की पुनः सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए ''सौ प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में अधिसूचना सं0 2189 दिनांक 24.09.15 द्वारा श्री रामायण सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

1. सौ प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक

उक्त दण्ड संसूचन के उपरान्त श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत की निलंबन अवधि 12.11.08 से 29.11.09 तक के विनियमन (वेतन भत्ता की अनुमान्यता) के बिन्दु पर निर्णय हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(5) के तहत विभागीय पत्रांक 2725 दिनांक 30.12.15 द्वारा नोटिश निर्गत करते हुए श्री सिंह से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु डाक विभाग द्वारा उक्त पत्र इस सूचना के साथ वापस कर दिया गया कि पत्र लेने से इंकार किया गया। ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि गंभीर एवं प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध ''सौ प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक'' का दण्ड अधिरोपित है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर से श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर

प्रमण्डल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत की निलंबन अवधि (दिनांक 12.11.08 से 29.11.09) के विनियमन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

1. निलंबन अवधि (दिनांक 12.11.08 से 29.11.09 तक) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ भी देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।

उक्त निर्णय श्री रामायण सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामानन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 584-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in